

विज्ञप्ति संख्या-1

संख्या : 2861/उ0आ0व10/भर्ती/विज्ञप्ति/2020-21

दिनांक : १७ जनवरी, 2021

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसरों में गैर-शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को नियमित आधार पर (मैरिट/लिखित/साक्षात्कार द्वारा) भरे जाने हेतु अन्यर्थियों से विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर भरकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र भेजने की **तिथि 18.02.2021 की अपराह्नः 5:00 बजे तक** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
संवर्गवार रिक्त पदों का आरक्षणानुसार विवरण निम्नवत् है:-

पद कोड	पदनाम	वेतनमान	पदों की कुल संख्या	श्रेणी
01	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	रुपया 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	02	01 GEN, 01 SC
02	अनुदेशक (योग एवं नेचुरोपैथी)	रुपया 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	02	01 GEN, 01 OBC

नोट :-

संबंधित पदों पर आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुरूप लागू होगा। पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा सम्पूर्ण विज्ञप्ति/आंशिक विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है, तदनुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

02— पदों हेतु शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव :-

(1) **पद कोड संख्या 01** हेतु न्यूनतम—अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :-

- (1) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकात्तर उपाधि।
- (2) मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षण (सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्तशासी) संस्थान में पैथोलॉजी प्रयोगशाला (माइक्रोबायोलॉजी) में कार्य करने का 03 वर्ष का संलग्न निर्धारित प्रारूप में अनुभव।
- (3) आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो।

16
19/01/2021

(4) **पद कोड संख्या 02** हेतु न्यूनतम—अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :-

- (1) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से योग विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षण (सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्तशासी) संस्थान में 03 वर्ष का योग शिक्षण का संलग्न निर्धारित प्रारूप में अनुभव।
- (3) आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो।

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है।

03- (1) विज्ञापित पद (कोड संख्या 01 एवं 02) पर पदवार आवेदन पत्रों की आवश्यकतानुसार शॉर्टलिस्टिंग/लिखित/स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

04- आयु – संबंधित पदों पर आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क) परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

05- अनापत्ति प्रमाण—पत्र – जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06- वैवाहिक परिस्थिति – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

19/01/2021

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

07— शुल्कः— अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
1.	अनारक्षित (सामान्य)	रु० 300/- मात्र
2.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 300/- मात्र
3.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 150/- मात्र
4.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०टी०)	रु० 150/- मात्र

08— राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

09— चरित्रः— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

19/09/2021

10— विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञप्ति निरस्त कर सकता है। इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा।

11— अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपयोग में ला सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर ही अभ्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित प्रतियों सहित) कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्वाला परिसर, देहरादून- 248001 के नाम मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 18.02.2021 की अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ स्व पता लिखा 03 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। उक्तानुसार निर्धारित समय—सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कालबाधित लिखवाते हुए संबंधित डाकघर से ही वापस करा दिया जायेगा। विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे में अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से ऊपर विज्ञप्ति संख्या (), आवेदित पद का नाम एवं पदकोड संख्या लिखा जाना अनिवार्य होगा।

12— योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13— इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें/अद्यतन जानकारियां मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

14— यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा

6
कुलसचिव 19/01/2021